

**छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर**

क्र. 1929 / डी-7-124 / वृहद / ज.सं. / 2001,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 19/04/2022

मुख्य अभियंता,
महानदी परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रायपुर जिले के विकासखंड-आरंग/पलारी की राजीव व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण की पुनःपुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्र.-1404/बोधी/RAA/2021/5630, नवा रायपुर, दिनांक 22.07.2021.

--00--

राज्य शासन एतद् द्वारा रायपुर जिले के विकासखंड-आरंग/पलारी की राजीव व्यपवर्तन योजना हेतु लागत राशि रु. 26067.74 लाख (रुपये दो सौ साठ करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार) मात्र की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति A Preliminary उपशीर्ष में मास्टर प्लान से संबंधित कार्य का प्रावधान रु. 355.60 लाख, K-Building उपशीर्ष में स्टाफ क्वार्टर्स का नवीन प्रावधान रु. 112.26 लाख, L-Earth work उपशीर्ष में नहर लाईनिंग कार्य का नवीन प्रावधान रु. 1389.02 लाख एवं O-Miscellaneous उपशीर्ष में शेष प्रावधान रु. 515.89 लाख को विलोपित करते हुए O-Miscellaneous एवं Q-special T&P में स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण किये जाने के शर्त पर प्रदान करता है।

- योजना से 28000 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।
- कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
- योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखा लेखा शीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (08)-समोदा परियोजना, (800)-अन्य व्यय, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य) (2884)-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य, #26-वृहद निर्माण कार्य 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-14/सी.एन. 31-00124/बजट-2/वित्त/चार/2022, दिनांक 04.04.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
- योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
- निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
- संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद सिंह धरेंद्र)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1930 / एफ-2-07 / 31 / एस-2 / 2021,

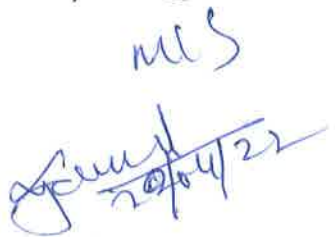
नवा रायपुर, दिनांक 19/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. ~~उप~~ संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
 14. कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.-1 रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।




19/04/22
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग


20/4/22